

**बिहार सरकार,  
शिक्षा विभाग,**

प्रेषक,

डॉ० खालिद मिर्जा,  
निदेशक, (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

निदेशक,  
जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ..... /

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना अन्तर्गत वाहन का ईंधन एवं रख रखाव एवं प्रकाशन एवं मुद्रण मद में अतिरिक्त आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-004-अनुसंधान, उप शीर्ष-0003-जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना विपत्र कोड संख्या- एन 2202800040003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नांकित मदों में अंकित राशि रू० 2,34,000/- (दो लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र आपको निम्न प्रकार अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

**विवरणी**

क्रमांक	कोड संख्या / मद	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	13 02-वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	200000	100000	300000
2	16 01-प्रकाशन एवं मुद्रण	66000	134000	200000
	कुल योग :-	266000	234000	500000

तत्काल आवंटित राशि 2,34,000/- (दो लाख चौतीस हजार रुपये) मात्र।

- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 295 दिनांक-24.03.2015 एवं 396 दिनांक-24.04.2015 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतन का नियमित भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान इस आवंटित राशि से किया जा सकता है।

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
9. आवंटन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निदेशक, (उच्च शिक्षा) का हस्ताक्षर अंकित है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब सूचित किया जाय।
10. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन,

ह0/-


(डॉ0 खालिद मिर्जा),

निदेशक (उच्च शिक्षा),

ज्ञापांक:- 354

पटना, दिनांक:- 25/1/16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05, 14, 15 एवं कार्यवाहक सहायक/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

  
24.2.16  
(डॉ0 खालिद मिर्जा),  
निदेशक (उच्च शिक्षा),  
SN